

प्रेषक,

श्री आर्य समाज,
संयुक्त शिक्षण,
उत्तर प्रदेश शासन ।

लेवा में,

शिक्षण,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
ब्लॉक 2 मन्दाय ब्लॉक,
प्रोविन्सियल नई दिल्ली ।

दिनांक 171 जून 1997

संख्या: दिनांक: 15 सितम्बर, 1997

विषय:- प्रो० सी० ई० रि० ए० राजेश्वर काज्याबाद को सी० बी० ए० की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अन्यायित प्रमाण पत्र दिया जाना ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कलने का निदेश हुआ है कि प्रो० सी० ई० रि० ए० राजेश्वर काज्याबाद को सी० बी० ए० की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अन्यायित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवर्तित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतापदी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों के लिए विधायित मुक्त से अधिक मुक्त नहीं किया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीलिन फार दि इन्डियन स्कूल सर्विसेज इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो इस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था शिक्षक एवं शिक्षाएतक कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त आगतकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा तमिल तमिल पर जो भी आदेश निर्गत किया जाये, तैरभा उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिजार्ड निर्धारित प्रमाण/संक्रियाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैरभा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 विद्यालय का निजी भवन मानकानुस्य बनाकर विद्यालय उक्त 2 वर्ष के भीतर स्थानान्तरित कर लिया जाय तथा शासन को शिक्षा निदेशक को स्थिति से अवगत कराया जाय ।

121 कार्यरत शिक्षक/सहायियों को वेतन व भत्तों मानकानुस्य दिया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरभा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तमिल यह पाया जाता है कि तैरभा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अवगत पालन करने में किसी प्रकार की मुक या दिक्कतता करती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्रीमती मंजी
संयुक्त सचिव ।

क्रमांक 3570111/15-7-1997 तदतिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवापक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्त्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नाबियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, ज्ञान भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रधान, पीठनी 0 इंस्टिट्यूट राजनगर नाबियाबाद ।

आगत है,

श्रीमती मंजी
संयुक्त सचिव ।